अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

न्यायालय, उपायुक्त, रॉची

एफ०एस०एस० वाद सं० 05/2014–15

22.11.2022

कृष्णा प्रसाद सिंह
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
सी०एम०ओ० कार्यालय
सदर अस्पताल परिसर, रॉची .... परिवादी/आवेदक

बनाम

1. उत्पादन पदाधिकारी
   रॉची डेयरी, एच०ई०सी० सेक्टर III
   धुर्वा, रॉची – 834004
2. देवाशिष मण्डल पिता गोपाल मण्डल
   मेसर्स सुधा डेयरी, बुथ सं० 812
   लालपूर चौक, सर्कुलर रोड, रॉची – 834001 .... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई परिवादी कृष्णा प्रसाद सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सी०एम०ओ० कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, रॉची एवं अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची द्वारा अग्रसारित ज्ञापांक 40 दिनांक 07.07.2014 के माध्यम से न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। परिवादी/आवेदक ने समर्पित आवेदन द्वारा विपक्षी के विरूद्ध सम्मन जारी करने के उपरान्त, उन्हे धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले मे अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची से पत्र सं० 59 दिनांक 07.07.2014 द्वारा न्याय निर्णयन से संबंधित अभियोजन आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त है।

न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन क अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

ादेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे. पर की गइ कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 2 :-	
	के तौर रॉची क्षेत्र हेतु नियुक्त किये गये है तथा विश्लेशण के निमित खाद्य एकत्रित करने हेतु अधिकृत है। उन्होने दिनांक 26.05.2014 को लगभग 10:15 बजे अपराह्न विपक्षी के दुकान का निरिक्षण किया तथा उनके दुकान से 500 एम०एल० X 4 पैकेट 'सुधा शक्ति पाश्चराइज्ड स्टैण्डार्डराइज्ड दुध" का नमूना विश्लेषण हेतु मुल्य चुका कर एकत्रित किया। तदोपरान्त उसे चार भाग मे बॉट कर उसे निर्धारित तरीके से सील कर उसे अभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप से लपेट कर उसमे RAN/801 का कोड अंकित किया तथा उसमे विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर, फार्म VI मे ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त उसे विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेज दिया। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:500/एफ०एस०एस०ए०/2014 दिनांक 03.06.2014 के अनुसार उपरोक्त "सुधा शक्ति पाश्चराइज्ड स्टैण्डार्डराइज्ड दुध" नमूने के लेबल/छाप मे "Use By date or Best Before Date" प्रदर्शित नही किया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.2.10 का उल्लंघन है तथा इस प्रकार विपक्षी के दुकान से प्राप्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (i)(zf) के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) है। विपक्षी की ओर उपस्थित विद्वान अधिक्ता के अनुसार – परिवादी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि नमूने के लेबल/छाप मे "Use By date or Best Before Date" प्रदर्ि ात नही किया गया है, परन्तु यह संभव है कि "Use By date or Best Before Date" का स्टाम्प नमूने से किसी कारणवश जाने या अनजाने मे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा नमूना प्राप्त करने के उपरान्त मिट गया होगा। चुंकि परिवादी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना विपक्षी सं० 2 से प्राप्त किया गया, अतः इस तथ्य की सही जानकारी वे ही दे सकते है। यह भी संभव है कि विपक्षी द्वारा नकली पाउच का इस्तमाल किया गया है। विपक्षी सं० 1 के खिलाफ लगाया गया सारा आरोप झुठा एवं बेबुनियाद है।	

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

दिश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त खाद्य के विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:500/एफ०एस०एस०ए०/2014 दिनांक 09.02.2014 से विदित होता है कि ''सुधा शक्ति पाश्चराइज्ड स्टैण्डार्डराइज्ड दुध'' नमूने के लेबल/छाप मे "Use By date or Best Before Date" प्रदर्शित नही किया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.2.10 का उल्लंघन है। इस संदर्भ विपक्षी का दावा है कि यह संभव है कि "Use By date or Best Before Date" का स्टाम्प नमूने से किसी कारण वश जाने या अनजाने मे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा नमूना प्राप्त करने के उपरान्त मिट गया होगा। अभिलेख के अवलोकन से यह परिलक्षित नही होता है कि, क्या उपरोक्त नमूने को संग्रह एवं सील करते वक्त उसके लेबल/छाप मे "Use By date or Best Before Date" प्रदर्शित था अथवा नही? अतः संदेह का लाभ प्रदान करते हुए यह वाद बिना किसी दण्डात्मक कार्रवाही के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी– सह– अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रॉची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:57:56 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d